रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-2685**0**7 CG-DL-E-15122025-268507

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5582] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947 No. 5582]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5777(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371 घ के खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में इसके लागू होने के लिए उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 2025 है।

8394 GI2025 (1)

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर है।
- (3) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ.-

- (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "सीधी भर्ती" में अस्थायी आधार पर की गई भर्ती सम्मिलित है, किंतु इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व अस्थायी आधार पर पद धारण करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी स्कीम के अनुसरण में की गई भर्ती सम्मिलित नहीं है;
 - (ख) **"जिला**" से सभी विभागों के लिए एक राजस्व जिला अभिप्रेत है, जो अनुसूची मे विनिर्दिष्ट है;
 - (ग) किसी स्थानीय काडर के संबंध में "स्थानीय क्षेत्र" से इस आदेश के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (घ) "स्थानीय प्राधिकरण" में कोई भी ऐसा स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित नहीं है जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है;
 - (ङ) "स्थानीय काडर" से राज्य सरकार के अधीन पदों का कोई भी स्थानीय काडर अभिप्रेत है जो पैरा 3 के अनुसरण में गठित किया गया था, या राज्य के किसी भी भाग के लिए अन्यथा गठित किया गया था;
 - (च) "स्थानीय अभ्यर्थी" से किसी भी स्थानीय क्षेत्र से संबंधित एक ऐसा अभ्यर्थी है, जिसे ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में पैरा 7 के अधीन स्थानीय अभ्यर्थी के रूप में अर्हता प्राप्त है;

- (छ) "मल्टी-ज़ोन" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे मल्टी-ज़ोन अभिप्रेत है जिसमें उल्लिखित जिले सम्मिलित हैं;
- (ज) "**अनुसूची**" से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) "विशेष कार्यालय या स्थापन" से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा कार्यालय या स्थापन अभिप्रेत है;
- (ञ) '**राज्य**' से आंध्र प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (ट) 'राज्य सरकार' से आंध्र प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) 'राज्य-स्तरीय कार्यालय या संस्था से' ऐसे सेवारत कार्यालय या संस्था या अधिकारिता अभिप्रेत है, जो सम्पूर्ण राज्य तक विस्तारित है और राज्य सरकार द्वारा इस बाबत अधिसूचित है; और
- (ड) 'ज़ोन' से इस आदेश से उपाबद्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं, उसमें उल्लिखित राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं;
- (2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होगा, जैसा वह केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- 3. स्थानीय काडरों का गठन- (1) राज्य सरकार इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से सत्ताइस मास की अवधि के भीतर, राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के वर्गों और उनके अधीन सिविल पदों के वर्गों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए उस सीमा तक और ऐसी रीति में जो इसमें इसके पश्चात उपबंधित है, विभिन्न स्थानीय काडरों में उपबंधित है, संगठित करेगी।

परंतु यह कि, उक्त अवधि की समाप्ति के होते हुए भी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा, राज्य सरकार से, जब भी वह ऐसा करना समीचीन समझे, सिविल सेवाओं के पदों के वर्गों और सिविल पदों के वर्गों को राज्य के अधीन विभिन्न स्थानीय काडरों या राज्य के विभिन्न हिस्सों में संगठित कर सकती है।

2. प्रत्येक जिले के प्रत्येक विभाग में किनष्ठ सहायक के प्रवर्ग के पदों और किनष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न के प्रत्येक अन्य प्रवर्ग के पदों को पृथक काडर में गठित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-पैरा, पैरा-6 के उप-पैरा (1) और पैरा 8 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रवर्ग को किनष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न माना जाएगा, यदि उस प्रवर्ग से संबंधित किसी पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान है या जहां पद का एक नियत वेतन है तो ऐसा नियत वेतन किनिष्ठ सहायक के न्यूनतम वेतनमान के समतुल्य या उससे कम है।

(3) प्रत्येक ज़ोन के प्रत्येक विभाग में किन्षु सहायक के पद से ऊपर के प्रत्येक प्रवर्ग और प्रत्येक विभाग में अधीक्षक के पद और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवर्गों और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवर्ग में भी और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवर्गों से संबंधित पदों को, एक पृथक काडर में संगठित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-पैरा, पैरा 6 के उप-पैरा (2) और पैरा 8 के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रवर्ग को अधीक्षक और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवर्ग और प्रत्येक विभाग में अन्य समतुल्य प्रवर्गों के समतुल्य या उससे निम्न माना जाएगा, यदि उस प्रवर्ग से संबंधित पद के वेतनमान का न्यूनतम या जहां पद का एक नियत वेतन है और ऐसा नियत वेतन, अधीक्षक या प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतनमान के समतुल्य या उससे कम है।

(4) प्रत्येक मल्टी-ज़ोन के प्रत्येक विभाग में अधीक्षक के प्रवर्ग से ऊपर प्रत्येक प्रवर्ग या प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवर्ग से ऊपर और डिप्टी कलेक्टर के प्रवर्ग में और उसके तक और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवर्ग से संबंधित पदों को, एक पृथक काडर के रूप में संगठित किया गया।

स्पष्टीकरण - इस उप-पैरा, पैरा 6 के उप-पैरा (3) और पैरा 8 के उप- पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रवर्ग को डिप्टी कलेक्टर के समतुल्य या उससे निम्न माना जाएगा, यदि उस प्रवर्ग से संबंधित पद के वेतनमान का न्यूनतम या जहां पद का एक नियत वेतन है, और ऐसा नियत वेतन डिप्टी कलेक्टर के वेतनमान के न्यूनतम के समतुल्य या उससे कम है।

- (5) उप-पैरा (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहां वह ऐसा करना समीचीन समझती है, किसी भी विभाग या उसके किसी भी स्थापन में, उसमें निर्दिष्ट प्रवर्गों से संबंधित पदों को यथास्थित दो या दो से अधिक समीपस्थ जिलों (पूर्ण या आंशिक) या ज़ोन में, एक ही काडर में संगठित कर सकती है।
- (6) राज्य के किसी भी भाग में किसी विभाग के किसी भी प्रवर्ग के पदों के संबंध में एक अलग काडर का गठन करने में, इस आदेश की कोई भी बात, राज्य सरकार को राज्य के ऐसे किसी भाग में ऐसे किसी विभाग में ऐसे प्रवर्ग के संबंध में एक से अधिक काडर को गठित करने या जारी रखने से निवारित नहीं करेगी।
- (7) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता कि किसी भी विभाग में किसी भी अराजपत्रित प्रवर्ग के पदों के संबंध में इस पैरा के अधीन स्थानीय काडरों को गठित करना व्यावहारिक या समीचीन नहीं है, तो वह अधिसूचना द्वारा, इस आशय की घोषणा कर सकती है और ऐसी घोषणा पर इस पैरा के उपबंध ऐसे प्रवर्ग के पदों पर लागू नहीं होंगे।

- 4. व्यक्तियों का आबंटन.-(1) उन व्यक्तियों को जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं जिनका स्थानीय काडरों में संगठित किया जाना अपेक्षित है, राज्य सरकार या इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे काडरों को आबंटित किया जाएगा।
 - (2) व्यक्तियों को स्थानीय काडरों में आबंटित करते समय निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी पर सम्यक ध्यान देना होगा अर्थात्:
 - (क) स्थानीय काडरों में पदों की प्रशासनिक आवश्यकताएं ;
 - (ख) आयु और ज्येष्ठता समूहों के संदर्भ में संतुलित स्थानीय काडरों के गठन की आवश्यकता;
 - (ग) राज्य के उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की सेवा की अवधि जिसके लिए स्थानीय काडर गठित किया गया;
 - (घ) जहां संभव हो, वहां किसी स्थानीय काडर में आबंटन के लिए संबद्ध व्यक्तियों का अधिमान;
 - (ड.) संबंधित व्यक्तियों को राज्य के उस भाग जिसके लिए काडर संगठित किया गया है, में बोली जाने वाली भाषाओं और प्रवृत्त विधि के बारे में संबद्ध व्यक्तियों का ज्ञान।
 - (3) राज्य सरकार, विभिन्न विभागों और पदों के विभिन्न प्रवर्गों के संबंध में, स्थानीय काडरों के व्यक्तियों के आबंटन पर सलाह देने के लिए समितियों का गठन कर सकेगी।
 - (4) ऐसा व्यक्ति जो ऐसे किसी आदेश से व्यथित है जिससे उसको किसी स्थानीय काडर आबंटित किया गया है, आदेश की सूचना की तारीख से

साठ दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(5) राज्य सरकार से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर और उप-पैरा (3) के अधीन गठित समुचित समिति से परामर्श करने के पश्चात ऐसा आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझती है।

परंतु जहां कहीं ऐसे आदेश में किसी अन्य व्यक्ति के आबंटन में परिवर्तन होता हो, वहां ऐसा आदेश उस अन्य व्यक्ति को, अभ्यावेदन करने का अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा।

- (6) संविधान के अनुच्छेद 371-घ के खंड (3) के उपबंधों की शर्तों के अधीन, उप-पैरा (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, अंतिम होगा।
- 5. स्थानीय काडर और व्यक्तियों की भर्ती या नियुक्ति- (1) राज्य का प्रत्येक भाग, जिसके लिए किसी भी प्रवर्ग के पदों के संबंध में कोई स्थानीय काडर संगठित किया गया है, भर्ती, नियुक्ति, सेवोन्मुक्ति, ज्येष्ठता, प्रोन्नति और स्थानांतरण, और ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा पदों के उस प्रवर्ग के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, के प्रयोजनों के लिए एक पृथक यूनिट होगी।
- (2) इस आदेश की कोई भी बात राज्य सरकार को, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी-
 - (क) जहां ऐसा उपबंध संबंधित विभाग के नियमों में विनिर्दिष्ट है, वहाँ किसी स्थानीय काडर से किसी व्यक्ति, जिस पर यह आदेश लागू नहीं होता है, को किसी कार्यालय या स्थापन में स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए;

- (ख) जहां ऐसा उपबंध संबंधित विभाग के नियमों में विनिर्दिष्ट है, वहाँ किसी व्यक्ति को आंध्र प्रदेश सचिवालय या किसी विभागाध्यक्ष के कार्यालय में किसी भी पद से किसी स्थानीय कांडर में स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए;
- (ग) किसी व्यक्ति को, पित/पत्नी के आधार पर एक स्थानीय काडर से दूसरे स्थानीय काडर में स्थानांतरण, इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि इस प्रकार स्थानांतिरत व्यक्ति को उस काडर में उसके स्थानांतरण की तारीख के संदर्भ से बाद वाले काडर में ज्येष्ठता दी जाएगी;
- (घ) किसी व्यक्ति का एक स्थानीय काडर से दूसरे स्थानीय काडर में पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार स्थानांतरित व्यक्ति को उस बाद वाले काडर में उसके स्थानांतरण की तारीख के संदर्भ से ज्येष्ठता दी जाएगी;
- (ड) एक स्थानीय काडर से अन्य स्थानीय काडर में स्थानांतरण, जहाँ बाद वाले काडर में कोई अर्हक या उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, जब ऐसा स्थानान्तरण अन्यथा सार्वजनिक हित में आवश्यक समझा जाए।
- 6. स्थानीय क्षेत्र-(1) प्रत्येक जिले को निम्न के लिए स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा -
 - (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में पदों पर सीधी भर्ती के लिए; जिसमें उस जिले के किसी भी विभाग में किनष्ठ सहायक के प्रवर्ग या किनेष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न किसी अन्य प्रवर्ग से संबंधित सभी या कोई भी पद सम्मिलित हों;

- (ख) उस जिले के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी भी काडर में पदों पर सीधी भर्ती के लिए; जहां वेतनमान, जिसका न्यूनतम किसी किनेष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक न हो या एक नियत वेतन उस रकम से अधिक न हो;
- (ग) आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा अधीनस्थ सेवाओं में सभी पदों तथा राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन शिक्षकों के अन्य सभी समान/समतुल्य प्रवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए;
- (घ) स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्रबंधन के अधीन शिक्षकों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, वेतनमान आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा अधीनस्थ सेवाओं में उन पदों के बराबर वेतनमान होगा
- (2) प्रत्येक ज़ोन को निम्न के लिए एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा,-
- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में पदों पर सीधी भर्ती के लिए; जिसमें किनष्ठ सहायक प्रवर्ग से ऊपर के प्रत्येक प्रवर्ग से संबंधित उस ज़ोन में किसी भी विभाग में सभी या कोई पद सम्मिलित हैं और जिनमें अधीक्षक और सभी प्रथम स्तरीय राजपत्रित या समान काडर की श्रेणी तथा किनष्ठ सहायक से अधिक वेतनमान वाले पदों के प्रवर्ग सम्मिलित हैं किंतु जिनका वेतनमान उस प्रत्येक विभाग में अन्य समतुल्य प्रवर्गों में से प्रत्येक श्रेणी के प्रथम स्तरीय राजपत्रित पद के वेतनमान से अधिक नहीं होता है;
- (ख) उस ज़ोन के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में पदों पर सीधी भर्ती के लिए वेतनमान वह होगा; जिसका न्यूनतम वेतनमान कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक

हो, किंतु सरकारी विभाग में प्रथम स्तरीय राजपत्रित के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक नहीं होता है:

परंतु यह कि जहां पैरा-3 के उप-पैरा (6) के अधीन दो या दो से अधिक ज़ोन के लिए एक काडर संगठित किया गया है, वहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी एक से संबंधित पदों के लिए ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को, ऐसे काडर के संबंध में पृथक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा।

- (3) प्रत्येक मल्टी-ज़ोन को निम्न के लिए एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा-
- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में ऐसे पदों पर सीधी भर्ती के लिए; जिसमें अधीक्षक के प्रवर्ग से ऊपर के प्रत्येक प्रवर्ग तथा प्रथम स्तरीय राजपत्रित से ऊपर के प्रवर्ग से संबंधित उस मल्टी-ज़ोन में किसी भी विभाग में सभी या कोई पद सम्मिलित हैं तथा प्रत्येक विभाग में डिप्टी कलेक्टर के प्रवर्ग और प्रत्येक अन्य समतुल्य प्रवर्ग को भी सम्मिलित किया गया है;
- (ख) मल्टी-ज़ोन के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी भी काडर में पदों पर सीधी भर्ती के लिए; वेतनमान वह होगा जिसका न्यूनतम, सरकारी विभाग में अधीक्षक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो और पदों के प्रवर्ग प्रथम स्तरीय राजपत्रित प्रवर्ग के वेतनमान से अधिक हो, किंतु सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर के न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होता है।
- 7. स्थानीय अभ्यर्थी- (1) किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित के आधार पर स्थानीय क्षेत्र के संबंध में एक स्थानीय अभ्यर्थी माना जाएगा,-

- (क) उस दशा में जहाँ पदों पर भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विहित की गई है,-
- (i) यदि उसने ऐसे स्थानीय क्षेत्र में किसी शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं में लगातार चार अन्यून शैक्षिक वर्षों की अविध के लिए अध्ययन किया है, जो उस शैक्षिक वर्ष के साथ समाप्त होता है जिसमें वह यथास्थिति अर्हक परीक्षा के लिए सम्मिलित हुआ था या पहले सम्मिलित हुआ हो, या;
- (ii) जहां उस शैक्षिक वर्ष के साथ समाप्त होने वाले लगातार संपूर्ण चार शैक्षिक वर्षों के दौरान या उसके किसी भी भाग के दौरान, यथास्थिति जिसमें वह सुसंगत अर्हक परीक्षा के लिए सम्मिलित हुआ था या पहली बार सम्मिलित हुआ हो, जिसके लिए उसने किसी भी शैक्षिक संस्था में अध्ययन नहीं किया है, यदि वह उस स्थानीय क्षेत्र में उस अर्हक परीक्षा, यथास्थिति जिसमें वह सम्मिलित हुआ था या पहली बार सम्मिलित हुआ था, के शुरू होने की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती कम से कम चार वर्ष की अविध के लिए निवास कर चुका है।
 - (iii) उस दशा में जहां दृष्टिहीन और कम दृष्टि और, बिधर तथा कम सुनने वाले व्यक्तियों ने, जिन विशेष स्कूलों में अध्ययन किया है, वह स्कूल ऐसे मामलों में ऐसे दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले और, बिधर तथा कम सुनने वाले व्यक्तियों का मूल निवास है।
- (ख) उस दशा में, जहां पद पर भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विहित नहीं की गई है, यदि वह भर्ती के लिए पद अधिसूचित होने की

तारीख से तुरंत पहले चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में रहा हो।

स्पृष्टीकरण - इस पैरा के प्रयोजन के लिए,-

- (i) 'शैक्षिक संस्था' से राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय या अन्य सक्षम प्राधिकारण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय या कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है।
- (ii) पद के संबंध में सुसंगत अर्हक परीक्षा से -
 - (क) ऐसी परीक्षा, जिसमें उत्तीर्ण होना पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अभिप्रेत है;
 - (ख) सातवीं कक्षा की परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा सातवीं कक्षा की परीक्षा के समतुल्य घोषित परीक्षा; जो भी निम्नतर हो, अभिप्रेत है।
- (iii) निरंतर शैक्षिक वर्षों की गणना करने में, जिनके दौरान एक अभ्यर्थी ने अध्ययन किया है, किसी परीक्षा को पास न कर पाने के कारण उसके अध्ययन में आई रुकावट की अवधि की गणना नहीं की जाएगी, अभिप्रेत है।
- (iv) इस प्रश्न का अवधारण कि क्या किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए कोई अभ्यर्थी किसी स्थानीय क्षेत्र में रहा है, उन स्थानों का संदर्भ लिया जाएगा, जहां अभ्यर्थी वास्तव में रहा था और न कि उसके माता-पिता या अन्य अभिभावकों के निवास का संदर्भ लिया जाएगा।
- (2) किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी, जिसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में उप-पैरा (1) के अधीन स्थानीय अभ्यर्थी नहीं माना जाता है,-

- (क) उस दशा में, जहाँ किसी पद पर भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विहित की गई है,-
 - (i) यदि उसने राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में उस शैक्षिक वर्ष के साथ समाप्त होने वाले सात निरंतर शैक्षिक वर्षों से अन्यून की अविध के लिए अध्ययन किया है जिसमें यथास्थिति वह सुसंगत अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हुआ था या पहली बार सम्मिलित हुआ था, उसे निम्नलिखित के संदर्भ में स्थानीय अभ्यर्थी माना जाएगा,-
 - (क) ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जहां उसने सात वर्ष की उक्त अवधि में से अधिकतम अवधि तक अध्ययन किया हो; या
 - (ख) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में उसके अध्ययन की अविधयां बराबर हो, तो इस स्थिति में ऐसे स्थानीय क्षेत्र जहां उसने अंतिम बार ऐसी समान अविधयों में अध्ययन किया हो;
 - (ii) यदि उस शैक्षिक वर्ष के साथ समाप्त होने वाले निरंतर सात शैक्षिक वर्षों या उसके किसी भाग के दौरान वह सुसंगत अर्हक परीक्षा में यथास्थिति सम्मिलित हुआ हो या पहली बार सम्मिलित हुआ हो, उसने किसी भी स्थानीय क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सात वर्षों की संपूर्ण उक्त अविध के दौरान राज्य में निवास किया है, तो उसे निम्नलिखित के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थी माना जाएगा,-
 - (क) ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जहां उसने सात वर्ष की उक्त अवधि में से अधिकतम अवधि तक निवास किया हो; या
 - (ख) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में उसके अध्ययन की अवधियां बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्थानीय

- क्षेत्र, जहां उसने अंतिम बार ऐसी समान अवधियों में निवास किया हो;
- (ग) उस दशा में जहां दृष्टिहीन और कम दृष्टि और, बिधर तथा कम सुनने वाले व्यक्तियों ने उनके लिए बने विशेष स्कूलों में अध्ययन किया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले और, बिधर तथा कम सुनने वाले व्यक्तियों के माता-पिता का मूल निवास।
- (ख) उस दशा में जहाँ पद पर भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विहित नहीं की गई है, यदि वह भर्ती के लिए पद अधिसूचित होने की तारीख से तुरंत पहले सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए उस राज्य में निवास किया है, तो निम्नलिखित के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थी माना जाएगा,-
 - (i) ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जहां वह सात वर्ष की उक्त अवधि में से अधिकतम अवधि तक निवास किया है; या
 - (ii) जहां दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में उसके निवास की अविध बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जहां उसने ऐसी बराबर अविध में अंतिम समय में निवास किया है।
 - (3) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी राज्य से बाहर तैनात है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के बालक, जो आंध्र प्रदेश से भिन्न किसी स्थान में अध्ययन कर चुके हैं, को अपने पिता या माता स्थानीय क्षेत्र या सरकारी सेवक द्वारा चुना गया कोई अन्य क्षेत्र चुनने का अधिकार है।

- (4) उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट विकल्प चुनने का अधिकार सभी सरकारी कर्मचारियों को एक बार दिया जाएगा।
- 8. सीधी भर्ती के विषय में आरक्षण.- (1) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं,-
- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर में; जिसमें किनष्ठ सहायक के प्रवर्ग या किनष्ठ सहायक के समतुल्य या उससे निम्न प्रवर्ग के पद सम्मिलित हैं;
- (ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में; जिसमें न्यूनतम वेतनमान या एक नियत वेतन किनष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक नहीं होता है;
- (ग) किसी भी स्थानीय काडर में, स्कूल शिक्षा अधीनस्थ सेवा के अधीन आने वाले सभी पद और किसी भी प्रबंधन के अधीन शिक्षकों के अन्य सभी समान या समतुल्य प्रवर्गों के पद; और
- (घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे किसी अन्य प्रबंधन के अधीन किसी भी काडर में, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, जिनमें आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा अधीनस्थ सेवाओं के पदों के बराबर वेतनमान लेने वाले, ऐसे काडर के संबंध में स्थानीय क्षेत्र के मामले में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किये जाएँगे।
 - (2) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं,-
 - (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर जिसमें उस ज़ोन, प्रवर्ग के किसी भी विभाग में किनिष्ठ सहायक के प्रवर्ग से ऊपर के प्रत्येक प्रवर्ग और अधीक्षक और उसके काडर तक के और सभी प्रथम स्तर के राजपत्रित या समान काडर और पदों के प्रवर्ग, जिनका वेतनमान किनष्ठ

सहायक से अधिक हो, लेकिन प्रत्येक विभाग में प्रथम स्तर के राजपत्रित पद और अन्य समतुल्य प्रत्येक प्रवर्ग के वेतनमान से अधिक नहीं होता है, के सभी या कोई भी पद आते हैं।

- (ख) उस ज़ोन के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में, जहाँ न्यूनतम वेतनमान किनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है और अधीक्षक के वेतनमान तक या इसके समतुल्य तक भी सम्मिलित है और प्रत्येक विभाग में प्रथम स्तर के राजपत्रित पद और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवर्गों के वेतनमान, ऐसे काडर के संबंध में स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय क्षेत्र के संबंध में खानीय अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षित किए जाएंगे।
- (3) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं -
- (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय काडर जिसमें उस मल्टी-ज़ोन में किसी भी विभाग में अधीक्षक के प्रवर्ग से ऊपर और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवर्ग से भी ऊपर और डिप्टी कलेक्टर के प्रवर्ग तक और प्रत्येक विभाग में अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवर्गों से संबंधित सभी या कोई भी पद आते हैं; और
- (ख) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन उस मल्टी-ज़ोन के भीतर किसी भी काडर में, पद, जिसका न्यूनतम वेतनमान सरकारी विभाग में अधीक्षक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो, और पदों का प्रवर्ग भी प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के वेतनमान से अधिक हो, लेकिन सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर के न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होता है, ऐसे काडर के संबंध में स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षित किए जाएंगे।

- (4) इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
- (क) किसी भी समय किसी भी स्थानीय काडर में सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में से कम से कम एक पद अनारक्षित छोड़ा जाएगा; और
- (ख) जहां तक संभव हो, प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए कम से कम एक पद आबंटित किया जाएगा।
- (5) किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं -
 - (क) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय कैडर में, जिसमें उस मल्टी-ज़ोन में किसी भी विभाग के सभी या कोई भी पद, जो अधीक्षक के प्रवर्ग से ऊपर और प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के प्रवर्ग से ऊपर और प्रत्येक विभाग में डिप्टी कलेक्टर और अन्य प्रत्येक समतुल्य प्रवर्ग के स्तर, सम्मिलित है।
- (ख) उस मल्टी-ज़ोन में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी काडर में, जहां न्यूनतम वेतनमान सरकारी विभाग में अधीक्षक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो और जहां पदों का प्रवर्ग भी प्रथम स्तर के राजपत्रित पद के वेतनमान से अधिक हो, लेकिन सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर के न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होता है।
- (6) उप-पैरा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहां उक्त पैरा में निर्दिष्ट किसी भी प्रवर्ग के संबंध में पैरा 3 के उप-पैरा (6) के अधीन दो या अधिक जिलों या क्षेत्रों के लिए एक ही काडर का गठन किया गया है, वहां ऐसे काडर में किसी भी समय पंचानवे प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, के संबंध में प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षित और आबंटित किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में विहित किया गया है।

- (7) इस पैरा के अधीन स्थानीय अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या अवधारित करते समय, पद के किसी भी अंश को एक के रूप में गिना जाएगा।
- (8) विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में अभ्यर्थियों के बीच आरक्षित पदों का आबंटन करते समय एक पद के अंशों को मात्रा के घटते क्रम में अंश को उत्तरोत्तर रूप से एक गिनकर समायोजित किया जाएगा और जहां इस प्रकार गिने जाने वाले अंश का चयन अंश के बराबर होने के कारण से नहीं किया जा सकता है, वहां चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
- (9) इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
 - (क) किसी भी स्थानीय काडर में किसी भी समय सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में से कम से कम एक पद अनारक्षित छोड़ा जाएगा; और
 - (ख) यदि पदों की संख्या एक से अधिक है, जहां तक संभव हो, प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए कम से कम एक पद आबंटित किया जाए।
- 9. आरिक्षत पदों को आगे ले जाना यदि किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में कोई अर्हित स्थानीय अभ्यर्थी उस स्थानीय क्षेत्र के संबंध में किसी स्थानीय अभ्यर्थी के लिए आरिक्षत या आबंटित पद को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय अभ्यर्थी की भर्ती के लिए ऐसे पद को तीन वर्ष से अधिक अविध के लिए आगे ले जाया जाएगा;

परंतु यह कि किसी स्थानीय अभ्यर्थी की भर्ती लंबित रहने तक, ऐसे पद को यथास्थिति किसी अन्य स्थानीय काडर में या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधीन उसी प्रवर्ग के पद का धारण करने वाले व्यक्ति की सेवा लेकर अस्थायी रूप से भरा जा सकता है।

10. निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति - (1) राष्ट्रपित, आदेश द्वारा राज्य सरकार से ऐसे निदेश जारी करने की अपेक्षा कर सकते हैं, जो किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के लिए इस आदेश को प्रभावी करने के प्रयोजन से आवश्यक या समीचीन हो और ऐसे स्थानीय प्राधिकरण इन निदेशों का अनुपालन करेंगे।

19

- (2) राज्य सरकार, उप-पैरा (1) के अधीन कोई निदेश जारी करने के प्रयोजन से या स्वयं का इस बात से समाधान करने के लिए उप-पैरा (1) के अधीन जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन किया गया है, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को लिखित आदेश दे कर आदेश में विनिर्दिष्ट जानकारी, विशिष्टियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है और ऐसे स्थानीय प्राधिकारी ऐसे आदेश का अनुपालन करेंगे।
- 11. आदेश का अध्यारोही प्रभाव होना इस आदेश के उपबंध इस आदेश के प्रारंभ होने से पहले या बाद में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में बनाए गए किसी क़ानून, अध्यादेश, नियम, विनियम या अन्य आदेश में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
- 12. शंकाओं का निवारण- शंकाओं का निवारण करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस आदेश की कोई भी बात राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ होने से पहले या बाद में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में पदों पर नियुक्तियों के मामले में आरक्षण के संबंध में किए गए उपबंधों के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध इस आदेश के साथ असंगत नहीं हैं।
- 13. कितपय नियुक्तियाँ और प्रोन्नतियां अनंतिम होंगी:- कोई भी पद, जिसे ऐसे काडर में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, पर की गई कोई भी नियुक्ति या प्रोन्नति, जो यथास्थिति इस आदेश या पैरा 3 के उपबंध के अनुसरण में किए गए आदेश के

प्रारंभ होने के पश्चात और पैरा 3 के उपबंध के अनुसरण में किए गए इस आदेश या किसी भी आदेश के उपबंधों के अधीन किसी भी स्थानीय काडर को संगठित करने से पहले की गई, तो वह अनंतिम होगी और ऐसे संगठन के पश्चात् बारह मास की अविध के भीतर इसका पुनर्विलोकन किया जाएगा और इस आदेश के उपबंधों के अनुसार पुन: समायोजित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी स्थानीय काडर को पैरा 4 के अधीन इसे आबंटित व्यक्तियों के साथ संगठित माना जाएगा।

14. व्यावृत्ति:- इस आदेश की कोई भी बात, लिखित को लागू नहीं होगी-

- (क) राज्य सरकार के आंध्र प्रदेश सचिवालय में कोई पद;
- (ख) किसी विभाग के प्रमुख के कार्यालय में कोई पद;
- (ग) किसी विशेष कार्यालय या स्थापन में कोई पद;
- (घ) राज्य स्तरीय कार्यालय या संस्था में कोई पद;
- (ङ) राजधानी क्षेत्र में अवस्थित आयुक्तालय मे कोई भी पुलिसपद।

अनुसूची (पैरा 2(1)(ख), (छ), (ड) और पैरा 8 देखें)

मल्टी ज़ोन	ज़ोन	जिले
	ज़ोन -।	श्रीकाकुलम विजियनगरम पार्वतीपुरम मान्यम विशाखापट्टनम अनाकापल्ली
मल्टी ज़ोन -।	ज़ोन -॥	अल्लुरी सीताराम राजू पूर्व गोदावरी काकीनाड़ा डॉ बी आर अंबेडकर कोनासीमा
	ज़ोन -॥	पश्चिम गोदावरी एलुरु एनटीआर कृष्णा
मल्टी ज़ोन -॥	ज़ोन -।∨	गुंटुर पालनाडु बापटला प्रकाशम श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर
	ज़ोन -∨	तिरुपति चित्तूर अन्नामय्या वाईएसआर कडप्पा
	ज़ोन -∨।	नंदयाल अनंतपुरम कुर्नूल श्री सत्य साई

राष्ट्रपति के आदेशानुसार,

[फा सं. 21013/01/2015-एसआर] जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 15th December, 2025

- **S.O. 5777(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371D of the Constitution and in supersession of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, in its application to the State of Andhra Pradesh, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes, the following Order, namely:-
- 1. Short title, extent and commencement.— (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 2025.
 - (2) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh.
 - (3) It shall come into force at once.
 - **2. Definitions.** (1) In this Order, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "direct recruitment" includes recruitment made on a temporary basis but does not include the recruitment made in pursuance of any Scheme approved by the State Government providing for the regularisation of the services of persons holding posts on a temporary basis before the commencement of this Order;
 - (b) "district" means a revenue district for all the Departments as specified in the Schedule;
 - (c) "**local area**" in relation to any local cadre, means the local area as specified in paragraph 6 of this Order;
 - (d) "local authority" does not include any local authority which is not subject to the control of the State Government;
 - (e) "local cadre" means any local cadre of posts under the State Government organised in pursuance of paragraph 3, or constituted otherwise for any part of the State;

- (f) "local candidate" in relation to any local area, means a candidate who qualifies under paragraph 7 as a local candidate in relation to such local area;
- (g) "Multi-Zone" means the Multi-Zones as specified in the Schedule comprising of the districts mentioned therein;
- (h) "Schedule" means the Schedule appended to this Order;
- (i) "Special Office or Establishment" means an Office or an Establishment notified as such by the State Government;
- (j) "State" means the State of Andhra Pradesh;
- (k) "State Government" means the Government of Andhra Pradesh;
- (l) "State-Level Office or Institution" means an office or institution serving, or the jurisdiction of which extends to the State as a whole and notified as such by the State Government; and
- (m) "**Zone**" means a Zone specified in the Schedule annexed to this Order, comprising the territories mentioned therein.
- (2) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
- **3.** Organisation of local cadres.— (1) The State Government shall within a period of twenty-seven months from the date of commencement of this Order, organise classes of posts in the civil services and classes of civil posts under the State into different local cadres for different parts of the State to the extent and in the manner, hereinafter provided:

Provided that, notwithstanding the expiration of the said period, the President may by order, require the State Government, whenever she considers it expedient so to do, to organise classes of posts in the civil services and classes of civil posts under the State into different local cadres for different parts of the State.

(2) The posts belonging to the category of Junior Assistant and each of the other categories equivalent to or lower than that of a Junior Assistant in each department, in each district, shall be organised into separate cadres.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, sub-paragraph (1) of paragraph 6 and sub-paragraph (1) of paragraph 8, a category shall be deemed to be equivalent to or lower than that of a Junior Assistant, if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or where the post carries a fixed pay, such fixed pay is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a Junior Assistant.

(3) The posts belonging to each category above the post of Junior Assistant and up to and inclusive of the post of Superintendent and each of the other equivalent categories in each department and also the category of First level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department, in each zone, shall be organised into a separate cadre.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, sub- paragraph (2) of paragraph 6 and sub-paragraph (2) of paragraph 8, a category shall be deemed to be equivalent to or lower than that of a Superintendent and also the category of First level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department, if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or where the post carries a fixed pay, such fixed pay is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a Superintendent or First level Gazetted post.

(4) The posts belonging to each category above the category of Superintendent or above the category of First level Gazetted post and up to and inclusive of the category of Deputy Collector and each of the other equivalent categories in each department in each Multi-Zone shall be organised into a separate cadre.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, sub-paragraph (3) of paragraph 6 and sub-paragraph (3) of paragraph 8, a category shall be

deemed to be equivalent to or lower than that of a Deputy Collector, if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or where the post carries a fixed pay, such fixed pay is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a Deputy Collector.

- (5) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (2) and (3), the State Government may, where it considers expedient to do so, organise the posts belonging to any of the categories referred to therein, in any department, or any establishment thereof, in two or more contiguous districts (either full or part) or zones, as the case may be, into a single cadre.
- (6) In organising a separate cadre in respect of any category of posts in any department for any part of the State, nothing in this Order shall be deemed to prevent the State Government from organising or continuing more than one cadre in respect of such category in such department for such part of the State.
- (7) Where the State Government is satisfied that it is not practicable or expedient to organise local cadres under this paragraph in respect of any non-gazetted category of posts in any department, it may, by notification, make a declaration to that effect and on such declaration the provisions of this paragraph shall not apply to such category of posts.
- **4. Allotment of persons.** (1) Persons holding posts required to be organised into local cadres shall be allotted to such cadres by the State Government or any officer or authority authorised by it in this behalf in accordance with the principles and procedure hereinafter specified.
- (2) In allotting persons to local cadres due regard shall be had to all or any of the following, namely:-
 - (a) the administrative needs of the posts in the local cadres;
 - (b) the need for the composition of balanced local cadres with reference to age and seniority groups;

- (c) the length of service of the persons concerned in the part of the State for which the local cadre is organised;
- (d) preference of the persons concerned for allotment to any local cadre, where feasible; and
- (e) knowledge of the persons concerned of the language spoken and the law in force in the part of the State for which the local cadre is organised.
- (3) The State Government may, in respect of different departments and different categories of posts, constitute committees to advise on the allotment of persons to local cadres.
- (4) Any person aggrieved by an order allotting him to any local cadre may submit a representation to the State Government within a period of sixty days from the date of communication of the order.
- (5) The State Government shall on receipt of such representation and after consultation with the appropriate committee constituted under subparagraph (3) make such order as it deems fit:

Provided that wherever such an order is likely to result in the change of allotment of any other person, no such order shall be made without giving an opportunity to that other person to make a representation.

- (6) Every order passed by the State Government under subparagraph (5) shall subject to the provisions of clause (3) of article 371D of the Constitution, be final.
- **5. Local cadres and recruitment or appointment of persons.—** (1) Each part of the State, for which a local cadre has been organised in respect of any category of posts, shall be a separate unit for the purposes of recruitment, appointment, discharge, seniority, promotion and transfer, and such other matters, as may be specified by the State Government, in respect of that category of posts.

- (2) Nothing in this Order shall prevent the State Government from making provision for—
 - (a) appointment by transfer of a person from any local cadre to any office or Establishment to which this Order does not apply where such provision is specified in the rules of the department concerned;
 - (b) appointment by transfer of a person from any post in Andhra Pradesh Secretariat or an office of Head of Department to any local cadre where such provision is specified in the rules of the department concerned;
 - (c) the transfer of a person from one local cadre to another local cadre on spouse ground, subject to the condition that the person so transferred shall be assigned seniority in the later cadre with reference to the date of his transfer to that cadre;
 - (d) the transfer of a person from one local cadre to another local cadre on a reciprocal basis subject to the condition that the person so transferred shall be assigned seniority in the later cadre with reference to the date of his transfer to that cadre; and
 - (e) the transfer of a person from one local cadre to another local cadre where no qualified or suitable person is available in the later cadre when such transfer is otherwise considered necessary in the public interest.
- **6.** Local areas.— (1) Each district shall be regarded as a local area.—
 - (a) for direct recruitment to posts in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that district belonging to the category of a Junior Assistant or to any other category equivalent to or lower than that of a Junior Assistant;
 - (b) for direct recruitment to posts in any cadre under any local authority within that district carrying a scale of pay, the minimum of which does not exceed the minimum of

- the scale of pay of a Junior Assistant or a fixed pay not exceeding that amount;
- (c) for direct recruitment to all the posts in the Andhra Pradesh School Education Subordinate Services and all other similar or equivalent categories of posts of teachers under any Department of the State Government; and
- (d) for direct recruitment to all posts of teachers under a local authority or such other management, as may be notified by the State Government from time to time, carrying a scale of pay equal to that of the posts in the Andhra Pradesh School Education Subordinate Services.
- (2) Each Zone shall be regarded as a local area,
 - (a) for direct recruitment to the posts in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Zone belonging to each category above the category of Junior Assistant and inclusive of the category of Superintendent and all first level Gazetted post or equal cadre and categories of posts carrying a scale more than Junior Assistant, but does not exceed the scale of pay of first level Gazetted post of each of the other equivalent categories in each department;
 - (b) for direct recruitment to posts in any cadre under any local authority within that Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Junior Assistant but does not exceed the minimum of the scale of pay of First level Gazetted post in Government department:

Provided that where a single cadre has been organised for two or more Zones, under sub-paragraph

- (6) of paragraph 3, of the posts belonging to any of the categories referred to in clause (a) or clause (b), each of such Zones shall be regarded as separate local area in respect of such cadre.
- (3) Each Multi-Zone shall be regarded as a local area,
 - (a) for direct recruitment to the posts in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Multi-Zone belonging to each category above the category of Superintendent and also above the category of first level Gazetted post and upto and inclusive of category of Deputy Collector and each of other equivalent categories in each department;
 - (b) for direct recruitment to posts in any cadre under any local authority within that Multi-Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Superintendent in Government department and also the category of posts exceeding the scale of pay of first level Gazetted post but does not exceed the minimum scale of Pay of Deputy Collector in Government Departments;
- **7. Local candidate.** (1) A candidate for direct recruitment to any post shall be regarded as a local candidate in relation to a local area,-
 - (a) in cases where a minimum educational qualification has been prescribed for recruitment to the posts,-
 - (i) if he has studied in an educational institution or educational institutions in such local area for a period of not less than four consecutive academic years ending with the academic year in which he

- appeared or, as the case may be, first appeared for the relevant qualifying examination; or
- (ii) where during the whole or any part of the four consecutive academic years ending with the academic year in which he appeared or as the case may be first appeared for the relevant qualifying examination he has not studied in any educational institution, if he has resided in that local area for a period of not less than four years immediately preceding the date of commencement of the qualifying examination in which he appeared, or as the case may be, first appeared.
- (iii) in cases where blindness and low vision and, deaf and hard of hearing persons studied in the special schools meant for them, the native place of the parents of such blindness and low vision and, deaf and hard of hearing persons.
- (b) in cases where no minimum educational qualifications has been prescribed for recruitment to the post, if he has resided in that local area for a period of not less than four years immediately preceding the date on which the post is notified for recruitment.

Explanation.- For the purpose of this paragraph, –

- (i) 'educational institution' means a University or any educational institution recognised by the State Government, a University or other competent authority;
- (ii) relevant qualifying examination in relation to a post means.-
 - (A) the examination, a pass in which is the minimum educational qualification prescribed for the post;

- (B) the Seventh Class examination or an examination declared by the State Government to be equivalent to the Seventh Class examination; whichever is lower.
- (iii) in reckoning the consecutive academic years during which a candidate has studied, any period of interruption of his study by reason of his failure to pass any examination shall be disregarded;
- (iv) the question, whether any candidate for direct recruitment to any post has resided in any local area shall be determined with reference to the places where the candidate actually resided and not with reference to the residence of his parents or other guardian.
- (2) A candidate for direct recruitment to any post who is not regarded as a local candidate under sub-paragraph (1) in relation to any local area shall,—
 - (a) in cases where a minimum educational qualification has been prescribed for recruitment to the post,
 - (i) if he has studied in educational institutions in the State for a period of not less than seven consecutive academic years ending with the academic year in which he appeared or as the case may be, first appeared for the relevant qualifying examination be regarded as a local candidate in relation to,-
 - (A) such local area where he has studied for the maximum period out of the said period of seven years; or

- (B) where the periods of his study in two or more local areas are equal, such local areas where he has studied last in such equal periods;
- (ii) if during the whole or any part of the seven consecutive academic years ending with the academic year in which he appeared or as the case may be first appeared for the relevant qualifying examination, he has not studied in the educational institutions in any local area, but has resided in the State during the whole of the said period of seven years, be regarded as a local candidate in relation to,—
 - (A) such local area where he has resided for the maximum period out of the said period of seven years; or
 - (B) where the periods of his residence in two or more local areas are equal, such local area where he has resided last in such equal periods;
 - (C) in cases where blindness and low vision and, deaf and hard of hearing persons studied in the **special schools meant** for them, the native place of the parents of such blindness and low vision and, deaf and hard of hearing persons.
- (b) in cases where no minimum educational qualification has been prescribed for recruitment to the post, if he has resided in the State for a period of not less than seven years immediately preceding the date on which the post is notified for recruitment, be regarded as a local candidate in relation to,—
 - (i) such local area where he has resided for the maximum period out of the said period of seven years; or
 - (ii) where the periods of his residence in two or more local areas are equal such local area where he has resided last in such equal periods.

- (3) Notwithstanding anything contained in this Order, if any Government servant is posted outside the State, the children of the such Government servant studied other than Andhra Pradesh, has right of choosing local area of his or her father or mother or any other area that is chosen by the Government servant.
- (4) Exercise of choosing of option referred to in sub-paragraph (3) shall be given as a one time to all the Government servants.
- **8. Reservation in matter of direct recruitment.—** (1) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time,-
 - (a) in any local cadre under the State Government comprising posts belonging to the category of Junior Assistant or a category equivalent to or lower than that of Junior Assistant;
 - (b) in any cadre under a local authority comprising posts carrying a scale of pay the minimum of which, or a fixed pay which does not exceed the minimum of the scale of pay of a Junior Assistant;
 - (c) in any local cadre all posts under the School Education Subordinate Service and all other similar or equivalent categories of posts of teachers under any management; and
 - (d) in any cadre under a local authority or under any such other management, as may be notified by the State Government from time to time carrying a scale of pay equal to that of posts in the Andhra Pradesh School Education Subordinate Services shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre, shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.

34

- (2) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time,
 - (a) in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Zone belonging to each category above the category of Junior Assistant and upto and inclusive of the category of Superintendent and all first level Gazetted post or equal cadre and categories of posts exceeding the scale of Junior Assistant, but does not exceed the scale of pay of first level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department; and
 - (b) in any cadre under any local authority within that Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Junior Assistant and upto and inclusive of the scale of pay of Superintendent and also the scale of pay of first level Gazetted post and each of the other equivalent categories in each department, shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.
- (3) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time
 - (a) in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Multi-Zone belonging to each category above the category of Superintendent and also above the category of first level Gazetted post and upto and inclusive of category of Deputy Collector and each of other equivalent categories in each Department; and

- (b) in any cadre under any local authority within that Multi-Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Superintendent in Government department and also the category of posts exceeding the scale of pay of first level Gazetted post but does not exceed the minimum scale of pay of Deputy Collector in Government Departments, shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) to (3),—
 - (a) there shall be at least one post left unreserved out of the posts filled by direct recruitment at any time to the local cadre; and
 - (b) there shall be, as far as possible, at least one post allocated for the local candidates in respect of each local area.
- (5) Ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time
 - (a) in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that Multi-Zone belonging to each category above the category of Superintendent and also above the category of first level Gazetted post and upto and inclusive of category of Deputy Collector and each of other equivalent categories in each department;
 - (b) in any cadre under any local authority within that Multi-Zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of Superintendent in Government department and

also the category of posts exceeding the scale of pay of first level Gazetted post but does not exceed the minimum scale of Pay of Deputy Collector in Government Departments.

- (6) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), where in respect of any of the categories referred to in the said paragraphs a single cadre has been organised for two or more districts or Zones under sub-paragraph (6) of paragraph 3, ninety-five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment at any time in such cadre shall be reserved in favour of and allocated amongst the local candidates in relation to each of the local areas in respect of such cadre in the ratio as prescribed by the State Government proportionate to the population of such local areas.
- (7) While determining the number of posts to be reserved in favour of local candidates under this paragraph, any fraction of a post shall be counted as one.
- (8) While allocating the reserved posts amongst the candidates in relation to different local areas fractions of a post shall be adjusted by counting successively the fractions in descending order of magnitude as one and where the fraction to be so counted cannot be selected by reason of the fractions being equal the selection shall be by lot.
- (9) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) to (8),—
 - (a) there shall be at least one post left unreserved out of the posts filled by direct recruitment at any time to any local cadre; and
 - (b) if the number of posts is more than one, there shall be, as far as possible, at least one post allocated for the local candidates in respect of each local area.

9. Carry forward of reserved posts.—If a qualified local candidate in respect of a local area is not available to fill a post reserved or allocated in favour of a local candidate in respect of that local area, such post shall be carried forward for recruitment of a local candidate in respect of that local area for a period not exceeding three years:

Provided that pending recruitment of a local candidate, such post may be filled in temporarily by borrowing the service of a person holding a post of the same category in any other local cadre or under any other local authority as the case may be.

- **10. Power to authorise to issue directions.** (1) The President, may, by order, require the State Government to issue such directions as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to this Order to any local authority and such local authority shall comply with such directions.
 - (2) The State Government may, for the purpose of issuing any direction under sub-paragraph (1) or for satisfying itself that any directions issued under sub-paragraph (1) have been complied with, require by order in writing any local authority to furnish such information, report or particulars as may be specified in the order and such local authority shall comply with such order.
- **11. Order to have overriding effect.** The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything contained in any Statute, Ordinance, Rule, Regulation or other Order made before or after the commencement of this Order in respect of direct recruitment to the posts under the State Government or any local authority.
- **12. Removal of doubts.** For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in this Order shall affect the operation of provisions made by the State Government or other competent authority before or after the commencement of this Order in respect of reservation in the matter of appointments to posts in favour of any candidates belonging to the backward classes, Scheduled Castes

and Scheduled Tribes, in so far such provisions are not inconsistent with this Order.

13. Certain appointments and promotions to be provisional.— Any appointment or promotion made after the commencement of this Order or Order made in pursuance of the provision to paragraph 3, as the case be and before any local cadre has been organised under the provisions of this Order or any Order made in pursuance of paragraph 3, to any post which is required to be included in such cadre shall be provisional and shall, within a period of twelve months after such organisation, be reviewed and readjusted in accordance with the provisions of this Order.

Explanation.- For the purposes of this paragraph, any local cadre shall be deemed to be organised with the allotment of persons to it under paragraph 4.

14. Saving.— Nothing in this Order shall apply to -

- (a) any post in the Andhra Pradesh Secretariat of the State Government;
- (b) any post in an office of the Head of a Department;
- (c) any post in a special office or Establishment;
- (d) any post in a State-level office or institution;
- (e) any Police post in the Commissionerate located in the Capital area.

SCHEDULE
[See paragraph 2(1) (b), (g), (m) and paragraph 8]

Multi-Zone	Zone	Districts
	Zone-I	Srikakulam,
		Vizianagaram,
		Parvathipuram Manyam,
		Visakhapatnam,
34 10 7 1		Anakapalli.
Multi-Zone-I	Zone-II	Alluri Sitarama Raju,
		East Godavari,
		Kakinada,
		Dr.B.R. Ambedkar Konaseema.
		West Godavari,
		Eluru,
	Zone-III	NTR,
		Krishna.
	Zone-IV	Guntur,
		Palnadu,
		Bapatla,
Multi-Zone-II		Prakasam,
		Sri Potti Sriramulu Nellore.
	Zone-V	Tirupati,
		Chittoor,
		Annamayya,
		YSR Kadapa.
		Nandyal,
	Zone-VI	Ananthapuramu,
		Kurnool,
		Sri Sathya Sai.

By Order and in the Name of the President,

[F. No. 21013/01/2015-SR]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy.